



दिल्ली विश्वविद्यालय

University of Delhi

Delhi-110007

कार्यालय संयुक्त कुलसचिव (संपदा)
O/o the Joint Registrar (Estate)

No. Estate/330/Misc./Parking/2025/ 13500

दिनांक: 27.11.2025

अधिसूचना

दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरी परिसर में पार्किंग की खराब स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित पार्किंग व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत केवल वैध स्टीकर वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग की अनुमति होगी। यह व्यवस्था पार्किंग की स्थिति में सुधार लाने हेतु एवं किसी आपात स्थिति को सुगमता से निपटने हेतु की जा रही है।

क्रम संख्या	पार्किंग स्थल	आरक्षित
1.	विश्वविद्यालय स्टेडियम के द्वार संख्या 1A के पास पार्किंग	प्रथम वरीयता : सभी अधिकारी/ कर्मचारी (वैध स्टीकर वाले वाहन)/अतिथि आगंतुक द्वितीय वरीयता : आगंतुक
2.	गेट नंबर 4 के दोनों ओर सड़क क्षेत्र (वनस्पति विज्ञान, सम्मेलन केंद्र और पर्यावरण विज्ञान भवन के सामने)	
3.	गौतम बुद्ध उद्यान की ओर गेट नंबर 3 का सड़क क्षेत्र (मानव विज्ञान विभाग, भौतिकी और भौतिकी विभाग आदि के सामने) लगभग	
4.	रसायन विज्ञान पार्किंग (पीछे का क्षेत्र)	प्रथम वरीयता: सभी अधिकारी/कर्मचारी /अतिथि आगंतुक रसायन विज्ञान विभाग व प्रशासनिक भवन द्वितीय वरीयता आगंतुक
5.	महर्षि कन्नड़ भवन बेसमेंट	प्रशासनिक/स्थापना/परीक्षा भवन अनुभाग अधिकारी एवं ऊपर के अधिकारी
6.	प्रशासनिक/स्थापना/परीक्षा/एसीबीआर का सामने का क्षेत्र	केवल प्रशासनिक/स्थापना/परीक्षा भवन में तैनात ग्रुप ए व ऊपर के अधिकारी
7.	एडमिन ब्लॉक खिड़की संख्या 17 सामने का क्षेत्र	प्रशासनिक/ स्थापना/ परीक्षा भवन/ अनुभाग अधिकारी एवं ग्रुप ए व ऊपर के अधिकारी
8.	नए परीक्षा भवन का दाहिना भाग	कुलपति, कुलसचिव, अधिष्ठाता महाविद्यालय, निदेशक दक्षिणी परिसर, अधिष्ठाता परीक्षा, परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त कुलसचिव और उप कुलसचिव (प्रशासन/स्थापना/ परीक्षा) अतिथि आगंतुक
9.	उपयोगिता केंद्र की तरफ (पोस्ट ऑफिस एवं SBI बैंक के सामने)	बैंक /पोस्टल / विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए
10.	गाँधी मूर्ति के सामने एवं द्वार संख्या 1 की तरफ दाहिने एवं बाएँ तरफ	पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित
11.	कणाद भवन के कैटीन के सामने से कणाद भवन के गेट के सामने	

क) विश्वविद्यालय परिसर में केवल वैध स्टीकर वाले वाहनों की पार्किंग की अनुमति है एवं बिना वैध स्टीकर वाली गाड़ी को पार्किंग की अनुमति नहीं है। वैसे अधिकारी व कर्मचारी जिनके पास वैध पार्किंग स्टीकर नहीं है। वह अपने वाहन वैध विश्वविद्यालय पहचान पत्र दिखाकर एवं रजिस्टर में प्रविष्टि करके पार्क कर सकते हैं। परन्तु यह व्यवस्था अस्थायी होगी और पार्किंग स्टीकर के लिए आवेदन करना और वाहन पर वैध स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा।

ख) विश्वविद्यालय परिसर के अंदर व्यावसायिक गाड़ियों जैसे रिक्शा, इ-रिक्शा, कार, स्कूटर, टेम्पो, मोटरसाइकिल इत्यादि गाड़ियों की आवाजाही एवं पार्किंग प्रतिबंधित होगी। केवल वृद्ध, दिव्यांगजन, बीमार, चलने में असमर्थ को लाने हेतु, व्यावसायिक वाहन "उठाओ और छोड़ो" सेवा के लिए ही अनुमित होगी।

ग) विश्वविद्यालय के पार्किंग व्यवस्था के निर्देशों का पालन ना करने वाले, सुरक्षाकर्मियों से लड़ने वाले एवं पार्किंग व्यवस्था में असहयोग करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों/ छात्रों पर उचित कार्रवाही की जाएगी। जिसके तहत उनके पार्किंग स्टीकर का निरस्तीकरण, विश्वविद्यालय परिसर में वाहन पार्किंग की अनुमति न होने एवं यातायात पुलिस की मदद से अवैध पार्किंग वाली गाड़ियों को खींच कर थाने ले जाने जैसी कार्रवाही की जाएगी।

घ) विश्वविद्यालय के द्वार संख्या 1 एवं द्वार संख्या 4 के बहार इ-रिक्शा/ऑटोरिक्शा के अवैध पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विश्वविद्यालय द्वार संख्या 1 एवं द्वार संख्या 4 संख्या पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे इ-रिक्शा/ऑटोरिक्शा को गेट के सामने रोकने व खड़ी रखने को पूर्णतः प्रतिबंधित करें। साथ ही द्वार संख्या 1 एवं 4 को आम रास्ते की तरह एक सड़क से दूसरी सड़क प जाने के लिए वैध स्टीकर वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इसके आलावा किसी विशेष स्थिति में समय-समय पर सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग व्यवस्था के परिवर्तन किया जा सकता है।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

संयुक्त कुलसचिव (संपदा)

प्रतिलिपि:-

1. कुलानुशासक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007
2. संपदा अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007
3. वित्त अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007
4. निदेशक/अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्रों के प्रभारी प्रोफेसर/संकाय/विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007
5. मुख्य अभियन्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007- मुख्य अभियन्ता कार्यालय से यह अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय स्टेडियम गेट संख्या 1A के पार्किंग स्थल के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग लगाए एवं मानक पार्किंग क्षेत्र अंकन करें। ताकि गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्थित तरीके से की जा सके एवं गाड़ियों को मैदान की तरफ ले जाने से प्रतिबंधित किया जा सके। इसके अलावा प्रशासनिक खंड की तरफ प्रवेश करने वाले दोनों रास्तों व प्रवेश द्वार पर बूम बैरियर स्थापित करें ताकि गाड़ियों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सके और केवल अनुमित गाड़ियों को ही अंदर आने की अनुमति दी जा सके।
6. संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007- मुख्य सुरक्षा अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि कौशल/अनुभवी सुरक्षा कर्मियों की प्रवेश द्वार पर तैनाती करें एवं उपरोक्त पार्किंग व्यवस्था एवं निर्देशों का कठोरता से पालन करें। ताकि गाड़ियों की पार्किंग को उनके अनुमति स्थल पर पार्किंग व्यवस्थित एवं अवैध पार्किंग को प्रबंधित की जा सके। मुख्य सुरक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सतर्क एवं चुस्त हो। कोई भी सुरक्षाकर्मी ऊयूटी के समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करे एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे।

अनुभाग अधिकारी (संपदा)

कमरा संख्या-101(प्र.त.), नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

Room No.101(FF), New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 दूरभाष Tel.: 011-27666794